आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

6-02-16
3-03-16

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय
(जिला विधि शाखा)

समपहरण वाद संख्या–04 / 2006–07
राज्य बनाम सुरेन्द्र पंडित एवं जितेन्द्र कुमार

आदेश

उक्त समपहरण वाद कबैया ओ0पी0 थाना कांड सं0–378 / 06 दिनांक–10.10.2006 का आलोक में संधारित किया गया है। जिस के अंतर्गत 7360 लीटर किरासन तेल एवं 70 क्विंटल 50 किलो गेंहूँ जप्त हुआ है। जप्त 2330 लीटर किरासन तेल सुरेन्द्र पंडित, पे0–लखन पंडित, सा0–कबैया, थाना–कबैया, जिला–लखीसराय एवं 5030 लीटर किरासन तेल जितेन्द्र कुमार का बताया गया है, जिसे कालाबाजारी के उद्वेश्य से बड़ी दुर्गा मंदिर के सामने दुर्गी स्थान गली में मो0 शान्ति देवी, जौजे–स्व0 महादेव सोनार के मकान में कालाबाजारी के उद्वेश्य से अवैध रूप से रखा गया था, परन्तु गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय शहर द्वारा जप्त कर लिया गया। तत्पश्चात इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक–462 / विधि, दिनांक–17.10.2006 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को जप्त खाद्यान्न को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करने का आदेश दिया गया।

तद्नुसार अनुमंडलाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–420 / आ0, दिनांक–11.07.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जप्त 7360 लीटर किरासन तेल को नीलाम कर प्राप्त राशि मो0 58,590=00(अठावन हजार पांच सौ नब्बे) रू0 मात्र अनुमंडल नजारत में नाजिर रसीद सं0–689381, दिनांक–23.11.2006 द्वारा जमा कर दिया गया है।

विपक्षी सीताराम साव को इस न्यायालय ज्ञापांक–500 / विधि, दिनांक–17.11.2006 द्वारा नोटिस भेजा गया। विपक्षी के द्वारा लगातार कई तिथियों तक उपस्थिति नहीं दी गयी। पुनः इन्हें अंतिम मौका देते हुए ज्ञापांक–80 / विधि, दिनांक–11.02.2015 द्वारा नोटिस भेजा गया। तत्पश्चात इनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गयी, लेकिन किसी प्रकार का कोई जबाव / आवेदन प्रस्तुत नही किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि विपक्षी को वाद के संबंध में कुछ नही कहना है। विपक्षी द्वारा अनुदानित नीला किरासन तेल का अवैध रूप से कालाबाजारी करने के उद्वेश्य से खरीद–बिक्री करना प्रमाणित होता है। अतः उपरोक्त जप्त किरासन तेल की राशि को समपहृत करते हुए वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को भेजे तथा इस आदेश की प्रति लखीसराय जिला के बेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजे।

लेखापित / संशोधित

13/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

13/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक – 160 विधि, दिनांक – 03-03-16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।